फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

मुकदमा नम्बर :- 603/2013 कोयली देवी बनाम निर्मला व पांच

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	24/9/25	व. वादी उप. प्रा. पत्र बाबत अतिक्रमण की रिपोर्ट पर नापी नक्शा किये जाने का पेश किया गया। प्रा. पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस प्रा. पत्र दिनांक 29/9/25 को पेश हो। [signature]	
	29/9/25	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 10/10/25 को पेश हो। [signature]	
	10/10/25	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 13/10/25 को पेश हो। [signature]	
	13/10/25	व. वादी उपस्थित बहस प्रा. पत्र पर सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं प्रा. पत्र का अवलोकन किया गया। तहसीलदार चौमू को इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 28/7/2023 को जारी प्रा. डिक्री की पालना के दिनांक 1/2/2024, 9/12/2024, 10/9/2025 को रिपोर्ट प्राप्त हुई जिनमें उक्त विवादित भूमि में कोई कार्य नहीं होना आवासीय आबादी भूमि का उपयोग होना बताया गया है। प्रार्थी/वादी के द्वारा केवल	

[signature]

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर)

श्रीमती [illegible] बनाम [illegible]

मुकदमा नम्बर :– 603/2013

धारा 13

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		प्रा. पत्र निस्तारण के उपेक्षा करने की कारण से पेश किया गया है। पत्रावली मामला 12 वर्ष पुरानी है। वादीया का वाद केवल नकारात्मक एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। जिसके प्रा. पत्र कारण निषेधा नहीं है जिसको प्रा. पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। साथ ही अन्तिम बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तीन बार दिनांक 1/2/2024 9/12/2024 10/9/2025 रिपोर्ट में विवादित भूमि कृषि कार्य नहीं होकर आवासीय आबादी भूमि का उपयोग नहीं होने का वादीया का वाद नकारात्मक की हद तक खारिज किया जाता है तथा विवादित भूमि जिस स्वरूप में है वह पर रोक कार्य हो रहा है वह पर रोक कार्य को स्थायी निषेधाज्ञा उक्त प्रकाराव को स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाता है विपक्षी को पाबन्द किया जाकर आदेश एकपक्षीय से निर्णय जारी किया गया। वादीया का वाद पत्रावली किया गया स्थायी निषेधाज्ञा की हद तक स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर उप रजिस्टर में दर्ज हो तथा दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

मुकदमा नं0:–603/13

उनवान

श्रीमती कोयली देवी पत्नि श्री बद्री नारायण, जाति बलाई, निवासी ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम ईटावाभोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीया–

बनाम

1. निर्मल पुत्र मालीराम, जाति बलाई, निवासी ग्राम ईटावाभोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. श्रीमति माया देवी पत्नि स्व0 अशोक
3. म0 कमल पुत्र स्व0 अशोक – नाबालिक जरिए प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमति माया देवी पत्नि स्व0 अशोक
4. अमित पुत्र मालीराम
5. श्रीमति मोहनी देवी पत्नि मालीराम
   समस्त जाति बलाई, निवासीयान ग्राम देवीसिंह का बास, ईटावाभोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. श्रीमति मंजू देवी पुत्री मालीराम पत्नि राजू, जाति बलाई, निवासी ग्राम श्रीमाधोपुर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
7. श्रीमति कुकु पुत्री मालीराम पत्नि मुकेश, जाति बलाई, निवासी ग्राम राजावास, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
8. घीसा पुत्र रुघनाथ (मृतक दौराने दावा)
   8/1. सुरेश पुत्र स्व0 घीसा जाति बलाई, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर
   8/2. श्रीमति मुकेशी पुत्री स्व0 घीसा पत्नि पप्पू जी बलाई, निवासी हाथनोदा हाल आबाद ग्राम नांगलभरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
   8/3. श्रीमति सरिता पुत्री स्व0 घीसा पत्नि संजू जी बलाई, निवासी ग्राम राडावास, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
   8/4. माया पुत्री स्व0 घीसा – नामालिक जरिए प्राकृतिक संरक्षक भाई सुरेश पुत्र स्व0 घीसा बलाई, निवासी ईटावाभोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
9. पन्ना पुत्र रुघनाथ
10. गोपाल पुत्र रुघनाथ
    जाति बलाई निवासी ढहरवाली ढाणी, लाल कोठी ग्राम ईटावाभोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
11. श्रीमति भूरी देवी पुत्री गीदा पत्नि जगदीश, जाति बलाई, निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
12. हीरालाल पुत्र कालूराम, जाति रैगर
13. श्रीमति प्रेम देवी पत्नि रघुवर दयाल, जाति रैगर
14. रामदयाल पुत्र गोदू, जाति बलाई,
    निवासीयान ग्राम ईटावाभोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
15. प्रभू पुत्र गीदा, जाति बलाई (मृतक दौराने दावा)
    15/1. दिनेश पुत्र स्व0 प्रभू
    15/2. श्रीमति शान्ति देवी पत्नि स्व0 प्रभू
    जाति बलाई, निवासी ग्राम ईटावा भोजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
    15/3. श्रीमति सजना देवी पुत्री स्व0 प्रभू पत्नि अरुण कुमार, जाति बलाई, निवासी ग्राम रुण्डल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

Scanned with OKEN Scanner

15/4. श्रीमति पूजा देवी पुत्री स्व0 प्रभू पत्नि राहुल, जाति बलाई, निवासी ग्राम रुण्डल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
15/5. श्रीमति सावित्री देवी पुत्री स्व0 प्रभू पत्नि लालचन्द, जाति बलाई, निवासी सोडाला, जयपुर, जिला जयपुर।
15/6. श्रीमति इन्द्रा देवी पुत्री स्व0 प्रभू पत्नि बबलू, जाति बलाई, निवासी सोडाला, जयपुर, जिला जयपुर।
16. उप–पंजियक चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
17. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबततकासमा वस्थायी निषैधाज्ञा

अधीन धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :–13.10.2025

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया हैकि भूमि आराजी गत खसरा नम्बर 689 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा जिससे बने हाल खाता संख्या 61 के हाल आराजी खसरा नम्बर 2442 रकबा 0.59 हैक्टेयर व खाता संख्या 62 के हाल आराजी खसरा नम्बर 2443 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2444 रकबा 0.75 हैक्टेयर, इस प्रकार दोना खातो के कुल किता 3 का कुल रकबा 1.48 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित है। उक्त भूमि विवादित भूमि है। उक्त विवादित भूमि में पूर्व में मालीराम, रामदयाल पुत्रान गोदू, घीसा, पन्ना, गोपाल पुत्रान रुघनाथ, गीधा पुत्र मंगला का 11/12 हिस्स निहित रहा था। वादीया ने वर्ष 1994 में उक्त खातेदारान् के निहित हक हिस्से में से नारायण रैगर के बाडे के उत्तर में व उक्त व्यक्तियों के काश्त की भूमियों के दक्षिणी और स्थित 12 बिस्वा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मुल्यवान प्रतिफल खरीद कर कब्जा मालिकाना भौतिक रुप से प्राप्त कर लिया। इस प्रकार वादीया उक्त भूमि की 12 बिस्वा भूमि की रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार हुई। किन्तु भूमि गत खसरा नम्बर 689 जो कि पूर्व में एक ही रकबा रहा था को वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड बनाते समय दो खातों खाता संख्या 61 व खाता संख्या 62 में विभक्त कर दिया गया। खाता संख्या 61 में वादीया का 15/148 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 का 133/888 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 10 का 133/444 हिस्सा, प्रतिवादीया संख्या 11 का 133/888 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 14 व 15 का 97683/4802600 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 12 का 1729/9768 हिस्सा, प्रतिवादीया संख्या 13 का 603/5900 हिस्सा तथा खाता संख्या 62 में वादीया का 15/148 हिस्सा, प्रतिवादीगण 1 ता 7 का 133/888 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 10 का 133/444 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 11 व 15 का 133/444 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 14 का 133/888 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। भूमि विवादग्रस्त वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि है का आज दिवस तक पक्षकारान् के मध्य वैधानिक रुप से बंटवारा नहीं हुआ हैं व पक्षकारान् उक्त भूमि पर अपने

Scanned with OKEN Scanner

अपने हक हिस्से पर बतौर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार काबिज हैं। भूमि विवादग्रस्त में वादीया की निहित 12 बिस्वा भूमि, वर्तमान खसरा नम्बर 2442 में स्थित हैं, जिसमें वादीया ने गत फसल गैहूँ की काश्त की थी जो स्वयं ने काटी हैं व वर्तमान में वादीया ने अपने हक हिस्से की भूमि में चरी के बाजरे की फसल काश्त कर रखी हैं व 8 लैसवें, 4 बील पत्र व 2 बबुल के पेड वादीया ने लगा रखे है। वादीया अपने द्वारा काश्त की हुई फसलों की सिंचाई पडौसी काश्तकार जगदीश, सुरजमल, हनुमान, सूजी देवी का काश्त की भूमि में लगे बोरिंग से पानी लेकर करती आ रही हैं। विवादित भूमि कृषि भूमि हैं, जिसका आज दिवसक तक पक्षकारों के मध्य वैधानिक रुप से विभाजन नहीं हुआ हैं, पूर्व में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15 उक्त भूमि का पक्षकारान् के मौके पर विद्यमान कब्जे काश्त के आधार पर आपसी सहमति से विभाजन करवाने हेतु तैयार रहे थे, किन्तु विवादित भूमि के आस पास आबादी विकसित हो गई इसलिये अब प्रतिवादीगण की नियत में बदनियति आने लगी है। अब प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15 उक्त कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित करवाये बिना उक्त भूमि पर निर्माण आदि कार्य करवा कर उक्त भूमि को आबादी के रुप में परिवर्तित करने व उक्त भूमि को छोटे छोटे प्लाटों, दुकानों आदि भूखण्डों में विभक्त कर निर्माण कर उक्त कृषि भूमि को बेचान करने पर आमदा हो रहे हैं, जिसका प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15 को कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।

वादीया ने उक्त वाद पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वाद वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत् तकासमा का डिक्री फरमाया जाकर भूमि विवादग्रस्त का वादीया के कब्जे काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा किया जाते हुए वादीया की 12 बिस्वा भूमि (15/148 हिस्से) का पृथक से खाता खोला जाकर पृथक लगान निर्धारित किया जावें, एवं तद्नुसार राजस्व रिकार्ड तैयार किया जावें। वाद वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के इस कदर पाबन्द किया जावें कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15 भूमि विवादग्रस्त में वादीया को उसके कब्जे काश्त में वादीया के उपयोग उपभोग में, कब्जे काश्त में, उपजों को प्राप्त करने में किसी प्रकार की दखलन्दाजी, मजाहमत पैदा नहीं करें, ना ही उक्त कृषि भूमि लगे हरे वृक्षों को काटे, छांगे, ना ही उक्त भूमि में खड्डे खोदे, ना ही नींव खोदे, ना ही उक्त भूमि के उपजाउपन को नष्ट करें, ना ही उक्त भूमि को छोटे छोटे प्लाटों, दुकानों आदि में विभक्त करें, ना ही उक्त भूमि या इसके किसी भूभाग को बिना विभाजन करवाये बिना बेचान, हस्तान्तरित करें, ना ही वादीया को उसके कब्जे काश्त से जबरिया बेदखल करें, ना ही प्रतिवादी संख्या 16 प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15 द्वारा उसके कार्यालय में विवादित भूमि बाबत् प्रस्तुत किसी विक्रय पत्र या विलेख पत्र को ना तो स्वयं तस्दीक करें, ना अपने कर्मचारियों से करवाये व प्रतिवादी संख्या 17 राजस्व रिकॉर्ड में मौके पर किसी प्रकार की तब्दीली नहीं होने देना सुनिश्चित करें, उपरोक्त कृत्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करें, ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन आदि के जरिये करवायें।

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 8, 11, 13, 14, 15 बावजूद तामील अनुपस्थित अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार चौमूं को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार चौमूं से प्राथमिक डिक्री की पालना में दिनांक 01.02.2024, 09.12.2024 एवं 10.09.2025 को रिपोर्ट प्राप्त हुई जिनमें तहसीलदार चौमूं ने रिपोर्ट में कथन किया की खसरा नम्बर 2442, 2443, 2444 पर मौके पर आबादी बसी हुई है। तथा उक्त खसरा नम्बर गांव की मुख्य आबादी से लगते हुए है। तथा उक्त आबादी पुरानी बसी हुई है। अतः उक्त खसरा नम्बरान् का उपयोग कृषि हेतु ना होकर आवासीय होने के कारण कुर्रेजात प्रस्ताव बनाना सम्भव नहीं है।

हमने प्रकरण में उभयपक्षो की बहस सुनी तथा उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट का अवलोकन किया। वादी का वाद तकासमा एवं स्थाई निषाधाज्ञा का है, लेकिन मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं विवादित भूमि पर कृषि कार्य नहीं होकर आवासीय आबादी हेतु उपयोग होना बताया गया है जिससे वादीया का वाद तकासमा की हद तक खारिज किया जाना एवं विवादित भूमि में जिन खसरो पर कृषि कार्य हो रहा है उक्त भूमि में उभयपक्षकारान् को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः वादीया का वाद तकासमा की हद तक खारिज किया जाता है तथा वादीया का वाद आंशीक रुप से स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि में जिन खसरो पर कृषि कार्य हो रहा है उक्त भूमि में उभयपक्षकारान् को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि पक्षकारान आपस में भूमि विवादग्रस्त के उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी नहीं करें। रिपोर्ट डिक्री का जुज रहेगा। पर्चा डिक्री जारी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0 ट्रे0/मुख्यालय)चौमूँ

Scanned with OKEN Scanner